नियम 146 : किसी डिक्री, आदि, के निष्पादन के माध्यम से वसूली

जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–15** में उक्त न्यायालय को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूलनीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शु) आगमों को जमा करेगा।